न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 307 / 2023

अनवान : –

1. सत्यपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 04/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 202 / 166 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 1.7963 में से 1 / 2 हिस्सा, व खाता संख्या 119 / 119 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 2.7449 है0 में से 1 / 2 हिस्सा, 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 376 / 740 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 4.2750 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा, 12 जेएसएन के खाता संख्या 133 / 128 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.3540 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

2 आरएमएस के खाता संख्या 202 / 166 की भूमि में वादी का नाम छत्रपाल पुत्र मनफूल, व 2 आरएमएस के खाता संख्या 119 / 119 व 7 बारानी के खाता संख्या 376 / 340 की भूमि में वादी का नाम सतपाल पुत्र मनफूल दर्ज है जो कि गलत है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड व रोही मौजा 12 जेएसएन के खाता संख्या 133 / 128 की भूमि में वादी का सही एवं वास्तविक नाम सत्यपाल पुत्र मनफुल दर्ज है।

छत्रपाल पुत्र मनफूल, सतपाल पुत्र मनफूल व सत्यपाल पुत्र मनफूल उक्त नाम वादी के एक ही व्यक्ति के नाम है तथा वादी का सही एवं वास्तविक नाम सत्यपाल पुत्र मनफुल है राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण से वादी के खातेदारी हकूकों का हनन होता है तथा वादी को विभिन्न सरकारी योजनाओं केसीसी, खाद–बीज व अनुदान आदि नहीं मिल रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड सभी खातो में अपना नाम मुताबिक पहचान दस्तावेज दुरूस्त करवाकर सत्यपाल पुत्र मनफुल दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा वादी का नाम छत्रपाल व सतपाल के स्थान पर सत्यपाल दुरूस्त की अनुशंषा की गईं। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा 7 बारानी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 376 प्रदर्श–1, रोही मौजा 2 आरएमएस सम्वत 2071–74 खाता संख्या 119 व 202 प्रदर्श– 2 ता 3, रोही मौजा 12 जेएसएन खाता संख्या 133 सम्वत 2073–76 प्रदर्श–4, सरपंच ग्राम पंचायत गुडिया द्वारा वादी के नाम के संबंध में प्रस्तुत तस्दीक प्रदर्श–5, वादी द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र प्रदर्श–6, आधार कार्ड व पैन कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने बहस में निवेदन किया की वादी का सही नाम सत्यपाल पुत्र मनफुल है जबकि राजस्व रिकार्ड में छत्रपाल व सतपाल पुत्र मनफुल गलत दर्ज हो गया जिससे

वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड तथा रोही मौजा 12 जेएसएन के खाता स0 133/128 में वादी का नाम सत्यपाल पुत्र मनफुल दर्ज है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम सत्यपाल पुत्र मनफुल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 आरएमएस के खाता संख्या 202/166 की भूमि में वादी का नाम छत्रपाल पुत्र मनफूल, व 2 आरएमएस के खाता संख्या 119/119 व 7 बारानी के खाता संख्या 376/340 की भूमि में वादी का नाम सतपाल पुत्र मनफूल दर्ज है जो कि गलत है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड व रोही मौजा 12 जेएसएन के खाता संख्या 133/128 की भूमि में वादी का सही एवं वास्तविक नाम सत्यपाल पुत्र मनफुल दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी वादी के नाम के संबंध में तस्दीक पेश की गई है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सत्यपाल पुत्र मनफुल दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पैनकार्ड तथा रोही मौजा 12 जेएसएन के खाता स0 133/128 में वादी का नाम सत्यपाल पुत्र मनफुल दर्ज है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 202/166 के कुल खसरे 9 की कुल 1.7963 है0 भूमि में वादी का नाम छत्रपाल पुत्र मनफुल के स्थान पर सत्यपाल पुत्र मनफुल तथा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 119/119 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 2.7449 है0 भूमि व रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 376/340 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 4.2750 है0 भूमि दोनो खातो में वादी का नाम सतपाल पुत्र मनफुल के स्थान पर सत्यपाल पुत्र मनफुल के अंकन की घोषणा की जाती है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच छत्रपाल या सतपाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का छत्रपाल या सतपाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम छत्रपाल या सतपाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/01/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:35 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 307 / 2023

अनवान : –

1. सत्यपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 307 सन 2023 निर्णय दिनांक 04/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 202/166 के कुल खसरे 9 की कुल 1.7963 है0 भूमि में वादी का नाम छत्रपाल पुत्र मनफुल के स्थान पर सत्यपाल पुत्र मनफुल तथा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 119/119 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 2.7449 है0 भूमि व रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 376/340 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 4.2750 है0 भूमि दोनो खातो में वादी का नाम सतपाल पुत्र मनफुल के स्थान पर सत्यपाल पुत्र मनफुल के अंकन की घोषणा की जाती है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच छत्रपाल या सतपाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का छत्रपाल या सतपाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम छत्रपाल या सतपाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:35 IST
Reason: SelfAttested